इटावा

19-3-12

दूरभाष सख्या (05612) 230836

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भवन सख्या 3/5 बी, सेक्टर–3, सुहाग नगर,
फिरोजाबाद।

संदर्भ संख्या 2113/एनओसी–319/2012 दिनांक 15/03/12.

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27– कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा– 282007 द्वारा आगरा– इटावा सैक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण / सुदृढ़ीकरण तथा फिरोजाबाद बाईपास के निर्माण हेतु लोक सुनवाई के सम्बंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सख्या एफ 96557/सी–4/ एन0ओ0सी0–652/2011, दिनांक 20.12.11 तथा पत्र सख्या एफ 96757/सी–4/ एन0ओ0सी0 –654/2011, दिनांक 26.12.11 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि क्रमशः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27– कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा– 282007 आगरा– इटावा सैक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं फिरोजाबाद वाईपास के निर्माण हेतु प्रस्तुत लोक पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव के कम में **जनपद इटावा के राष्ट्रीय राजमार्ग– 2 के कि0मी0 292.000 से कि0मी0 323.473 तक** तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रौली हाउस 128/681 ए ब्लाक किदवई नगर, कानपुर– 208011 द्वारा इटावा चकेरी (कानपुर) के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन में चौड़ी करण उच्चीकरण /सुदृढ़ीकरण के निर्माण हेतु प्रस्तुत लोक पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव के कम में **जनपद इटावा के राष्ट्रीय राजमार्ग– 2 के कि0मी0 323.475 से कि0मी0 350.800 तक** के कार्य हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.06 के अर्न्तगत लोक सुनवाई के सम्बंध में हैं।

अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में नियत दिनांक 14.03.2012 समय दोपहर 12.00 बजे एवं स्थान कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष, फिरोजाबाद में लोक सुनवाई जिलाधिकारी, इटावा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। लोक सुनवाई का कार्यवृत्त, फोटोग्राफ – 05 नग, एवं सी0डी0–2 सलंग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
15/3/12
(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, इटावा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

19/3/12

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा– 282007 द्वारा आगरा– इटावा सैक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन चौड़ीकरण/उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं फिरोजाबाद वाईपास के निर्माण हेतु प्रस्तुत लोक पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव के कम में जनपद इटावा के राष्ट्रीय राजमार्ग– 2 के कि0मी0 292.000 से कि0मी0 323.525 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रौली हाउस 128/681 ए ब्लाक किदवई नगर, कानपुर– 208011 द्वारा इटावा – चकेरी (कानपुर) सेक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन में चौड़ी करण /उच्चीकरण /सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तुत लोक पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव के कम में जनपद इटावा के राष्ट्रीय राजमार्ग– 2 के कि0मी0 323.475 से कि0मी0 350.800 हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, इटावा की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.12 को कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष, इटावा में सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

आगरा– इटावा सेक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं फिरोजाबाद वाईपास के निर्माण कार्य के अर्न्तगत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा द्वारा जनपद– इटावा के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के कि0मी0 292.000 से कि0मी0 323.525 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण तथा इटावा – चकेरी (कानपुर) सेक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण कार्य के अर्न्तगत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रौली हाउस 128/681 ए ब्लाक किदवई नगर, कानपुर द्वारा जनपद– इटावा के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के कि0मी0 323.475 से कि0मी0 350.800 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रौली हाउस 128/681 ए ब्लाक किदवई नगर, कानपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 (यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के तहत लोक सुनवाई जिलाधिकारी महोदय, इटावा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष, इटावा में दिनांक 14.03.12 को दोपहर 12 बजे प्रारम्भ हुयी। लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गयी।

1. सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा लोक सुनवाई पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मत्रांलय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण/ विस्तारीकरण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव लोक सुनवाई प्रकिया के अर्न्तगत आच्छादित है।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार लोक सुनवाई के सम्बन्ध में विज्ञप्ति उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 09.02.2012 को दैनिक समाचर पत्रों दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित की गयी थी तथा आक्षेप/ सुझाव / आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किए गये थे। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप/ सुझाव / आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है।

3. लोक सुनवाई की कार्यवाही को आगे बढाते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रौली हाउस 128/681 ए ब्लाक किदवई नगर, कानपुर के सलाहाकार प्रतिनिधियों श्री विनोद कुमार गौतम, एनवायरमेन्टल इन्जीनियर एवं श्री महावीर सैनी, इनवायरलमेन्टल आफीसर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग– 2 के छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश ड़ाला गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा– इटावा सैक्शन एवं इटावा – चकेरी (कानपुर) सेक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के अर्न्तगत जनपद– इटावा के कि0मी0 292. 000 से कि0मी0 350.800 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण करने सम्बन्धी निर्माण कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। जनपद इटावा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग– 2 के कि0मी0 292.000 से

कमशः ....2...

कि0मी0 350.800 की लम्बाई 31.525 कि0मी0 + 27.325 कि0मी0 = कुल लम्बाई 58.850 कि0मी0 तक राष्ट्रिय राजमार्ग–2 का छः लेन सड़क चौड़ी करण किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के कि0मी0 292.000 से कि0मी0 323.525 सेक्सन के अर्न्तगत 57कलवर्ट, 03 अण्डर पास, 02 पैदल/पशुपार पथ (अण्डर पास) 2 मुख्य मिलान स्थल (जक्शंन), 31 छोटे मिलान स्थल (जक्शंन), 3 बस वे एवं 4 स्थानों पर 07.2 कि0मी0 लम्बाई का सर्विस रोड आदि का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त सेक्सन की प्रस्तावित परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू0 953.3 करोड़ है जबकि इटावा जिले के अन्तर्गत निर्माण कार्य (सिविल) पर अनुमानित लागत रू0 242.35 करोड़ है। उक्त के अतिरिक्त पर्यावरण प्रबन्धन हेतु कुल परियोजना पर रू0 6.6 करोड़ के बजट का प्राविधान है जिसमें फिरोजाबाद जिले के लिए रू0 1.9 करोड़ के बजट का प्राविधान है। जनपद फिरोजाबाद के अर्न्तगत कुल 24.6033 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। अधिग्रहित भूमि के लिए उपयुक्त मुआवजा नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के कि0मी0 323.475 से कि0मी0 350.800 सेक्सन के अर्न्तगत राह चलता मार्ग, आर0ओ0डब्ल्यू0, 6 दीर्घ सन्धि स्थल, 22 वांयी तरफ एवं 18 दांयी तरफ लघु सन्धि स्थल, वांयी एवं दायी तरफ 8 बस वे, सर्विस रोड, 1 पैदल पार पुलिया, 5 पैदल यात्री / मवेशी सुरंग मार्ग, 4 वाहन सुरगं मार्ग, लघु पुल, 10 कलवर्ट, आदि का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त सेक्सन की प्रस्तावित परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू0 1573.0 करोड़ है जबकि इटावा जिले के अन्तर्गत निर्माण कार्य (सिविल) पर अनुमानित लागत रू0 268.28 करोड़ है। उक्त के अतिरिक्त पर्यावरण प्रबन्धन हेतु कुल परियोजना पर रू0 5.39 करोड़ के बजट का प्राविधान है जिसमें इटावा जिले के लिए रू0 0.60 करोड़ के बजट का प्राविधान है। जनपद इटावा के अर्न्तगत कुल 32.977 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। अधिग्रहित भूमि के लिए उपयुक्त मुआवजा नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है।

4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रौली हाउस 128/681 ए ब्लाक किदवई नगर, कानपुर के प्रतिनिधियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग – 2 के छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण के लिए जनपद इटावा में 98 वृक्ष + 37 वृक्ष = लगभग 135 वृक्ष प्रभावित होना अवगत कराया गया जिसके अर्न्तगत नीम, नीलगिरी, बबूल आदि है। यह भी अवगत कराया गया कि कम से कम वृक्षों को काटा जाना प्रावधानित है। आवश्यकतानुसार काटे गये वृक्षों के सापेक्ष सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाऐगा। सड़को के किनारे सुन्दर बनाने, तिराहो–चौराहो एवं पार्किगं क्षेत्रों में सुधार करने, बॉरो एरिया में वृक्षारोपण करने समस्त सम्बन्धित विभागों से अनुमतियॉ प्राप्त करने को प्रावधानित किया गया है।
5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग – 2 के छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण के दौरान सुरक्षा उपायों, संकेतकों आदि का प्राविधान है। उक्त परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान निम्नलिखित प्रकार की समस्यायें आने एवं उनके निराकरण सम्बन्धी निम्नलिखित प्राविधान किये गये है।

क. <u>जल पर्यावरण एवं प्रदूषण</u> :– प्रस्तावित परियोजना को जल श्रोत के क्रम में बहावर, तराई, मैदानी क्षेत्र, एल्यूवियम, समतल, पैनीसुला क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। जल के प्रमुख श्रोत तालाब एवं हैण्ड पम्प है। राजकीय राजमार्ग के उच्चीकरण /सुदृढ़ीकरण के दौरान जल की आवश्यकता होगी। परियोजना निर्माण के दौरान पुल, सेतुबन्ध आदि का काम पानी के सीधे बहाव में नहीं किया जाना प्रस्तावित है। जल प्रयोग से जिस जगह पर भू जल प्रभावित हो रहा है वहॉ के निवासियों के लिए वैकल्पिक पानी की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव के कारण सरफेस जल एवं भूमिगत जल पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ना सम्भावित नहीं है।

ख. <u>वायु पर्यावरण एवं प्रदूषण</u> :– परियोजना के निर्माण प्रक्रिया के दौरान उपकरण व वाहनों के आवागमन, निर्माण के दौरान धूल की उत्पत्ति ही वायु प्रदूषण के श्रोत है। उपरोक्त वायु प्रदूषण श्रोतो से उत्पन्न धूल की रोकथाम हेतु निर्माण कार्यक्षेत्र को यथा सम्भव नम रखे जाने, पानी का छिड़काव किये जाने, निर्माण सामग्री को ले जाते समय ट्रक, टारपोलिन या अन्य किसी उपयुक्त सामग्री से कवर किए जाने, पी0यू0सी0 सर्टिफिकेट वाले वाहनों का प्रयोग किए जाने तथा हाट मिक्स एवं जनरेटर की स्थापना राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही स्थापित करने का प्राविधान है। उक्त के अतिरिक्त यथा सम्भव परिवेशीय वायु गुणता को नियन्त्रित करने हेतु परियोजना के आस–पास वृक्षारोपण

कमशः ....3...

करने, वाहनों का संचालन मानकों के अनुरूप कराने एवं अन्य उपायों को किये जाने का प्राविधान है। अतः उक्त परियोजना से प्रदूषण नगण्य होगा।

ग. **मृदा प्रदूषण** :– परियोजना के निर्माण प्रक्रिया के दौरान मृदा प्रदूषण की सम्भावना नगण्य होगा।

घ. **ध्वनि प्रदूषण** :– वाहनों के आवागमन, निर्माण मशीनरी, कान्क्रीट एवं डावर प्लाण्ट एवं जनरेटर आदि उपकरणों के संचालन से ध्वनि प्रदूषण होना सम्भावित है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु डी0जी0 सेट को एकास्टिक के साथ लगाया जाना प्रस्तावित है तथा अन्य उपकरणों का संचालन एवं वाहनों का रख रखाव इस प्रकार से किया जाना प्रस्तावित है कि ध्वनि स्तर मानकों के अनुरूप रहेगा। निर्माण कार्य में लगे वाहनों एवं उपकरणों में एक्जास्ट साइलेन्सर लगाना, आबादी क्षेत्र में निर्माण कार्य रात 10 से सुबह 6 बजे तक बन्द रखना, कार्यरत कार्मिकों को ईयर प्लग उपलब्ध कराना, चुनिन्दा स्थानों पर ध्वनि बैरियर लगाना, संवेदनशील स्थानों पर सिग्नल लगाना, शान्त क्षेत्रों में हार्न का प्रयोग प्रतिबन्धित किए जाने आदि का प्राविधान है। अतः ध्वनि प्रदूषण नगण्य होगा।

ङ **सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण** :– परियोजना के निर्माण प्रक्रिया के दौरान जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के कि0मी0 323.475 से कि0मी0 350.800 सेक्सन के अर्न्तगत 24.6033 हेक्टेयर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के कि0मी0 323.475 से कि0मी0 350.800 सेक्सन के अर्न्तगत 32.977 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। जनपद इटावा के अर्न्तगत प्रभावित होने वाले 287 + 153 = 440 निजी संरचना / परिवार प्रभावित हो सकते है। अधिग्रहित भूमि के लिए उपयुक्त मुआवजा नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है। उपजाऊ मिट्टी एवं कृषि क्षेत्र का प्रयोग, कैम्प, स्टाक, यार्ड एवं गोदाम आदि बनाने हेतु नहीं किया जाएगा। भू क्षरण रोकने हेतु मिट्टी का ढाल के रूप रखना, एम्बैकमेण्ट स्लोप में टर्फिंग करना, बॉरो एरिया का उपयोग वृक्षारोपण करने का प्राविधान, वर्कशाप, ईधन / लुब्रीकण्ट भण्डारण, लेबर कैम्प को आबादी क्षेत्र से बाहर रखने आदि का प्राविधान रखा गया है। सड़क निर्माण में खोदी गयी चट्टान व अन्य सालिड वेस्ट के रूप में प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल निचली सतह भरने आदि में प्रयोग किया जाना प्रावधानित है। पर्यावरण प्रबन्धन के सम्बन्ध में मानकों के अनुरूप समय – समय पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त परियोजना से बेहतर परिचालन समस्त क्षेत्रों में पहुॅच के साथ–साथ आस पास के क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक होगी।

उक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के दौरान आस–पास प्रस्तावित परियोजना में पारिस्थितिकी पर्यावरण के बचाव हेतु चारों तरफ हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। जिससे प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उपरोक्त परियोजना से बेहतर परिचालन समस्त क्षेत्रों में पहुॅच के साथ–साथ आस पास के क्षेत्र के समग्र विकास मे सहायक होगी।

अन्त में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वियन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा के प्रतिनिधियों द्वारा लोक सुनवाई में प्रतिभाग कर रहे जन समुदाय द्वारा उक्त परियोजना की स्थापना से आस–पास के विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के ऊपर पड़ने वाले अधि प्रभावों के सम्बन्ध में उठाये गयं प्रश्नों / समस्याओं के निराकरण हेतु परियोजना में प्रस्तावित व्यवस्थाओं इत्यादि के बारे में उत्तर दिया गया जिसका विवरण निम्नवत् है:–

प्र0 1 श्री किशोरी सिंह, अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, इटावा द्वारा जानकारी चाही गयी कि नालों का निर्माण जनपद इटावा के अर्न्तगत प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के दौरान नालों का निर्माण शहरी आबादी को ध्यान में रख कर किया जाए एवं नालों को वाई पास हेतु उचित निकासी की व्यवस्था की जाए।

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि हाई वे के किनारे के आबादी क्षेत्र के आधार पर कलवर्ट की व्यवस्था उचित जल निकासी हेतु किये जाने का प्राविधान परियोजना में किया गया हैं। जहॉ पर कलर्वट की व्यवस्था की जानी है का प्रस्ताव नगर पालिका परिषद द्वारा जिलाधिकारी, इटावा के माध्यम से एन0एच0ए0आई0 आगरा / कानपुर को प्रेषित करा दिया जाए। उक्त कार्य को संज्ञान में लेते हुये हाई वे निर्माण हेतु प्रस्तावित डी0पी0आर0 में सम्मलित किया जाएगा।

क्रमशः ....4...

प्र0 2 श्री राजीव कुमार, जसवन्तनगर, इटावा द्वारा जानकारी चाही गयी कि रोड़ के किनारे सर्विस रोड़ की चौड़ाई कम होने के कारण सर्विस रोड़ पर एक वाहन के खड़े होने के कारण दूसरा वाहन निकल नहीं पाता है। सर्विस रोड़ की चौड़ाई कम है। अतः सर्विस रोड़ को चौड़ा बनाया जाए।

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वार अवगत कराया गया कि वर्तमान में सर्विस रोड़ की चौड़ाई 5.5 मीटर है। हाई वे के चौढीकरण के दौरान सर्विस रोड़ की चौड़ाई 7 मीटर किये जाने का प्राविधान है जिससे उक्त समस्या का निराकरण हो जाएगा।

प्र0 3 श्री अश्वनी कुमार, जसवन्त नगर, इटावा द्वारा जानकारी चाही गयी कि एन0एच0ए0आई0 द्वारा पूर्व में जनपद इटावा के 4 लेन सड़क निर्माण के समय निर्धारित मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वार अवगत कराया गया कि मुआवजे के भुंगतान हेतु नियमानुसार अपील करते हुए मुआवजा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

प्र0 4 श्री विजय यादव, कुरसैना इटावा द्वारा अवगत कराया गया कि कुरसैना में आबादी के बाद भी सर्विस रोड नहीं है, जिससे दुर्घटना आदि की सम्भावना बनी रहती है। उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवही की जाएगी ?

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त का ध्यान रखते हुए सर्विस रोड़ निर्माण किये जाने का प्राविधान है।

प्र0 5 श्री जयवीर सिंह तौमर, इटावा द्वारा अवगत कराया गया कि एक्सीडेन्ट जोन वकेवर चौराहा के लिए क्या प्राविधान किया गया है ? कृषि भूमि पर निर्माण के समय कन्स्ट्रक्सन कैम्प नहीं बनाने का प्राविधानित है किन्तुं सामान्यतयाः उक्त का निर्माण कृषि भूमि पर ही किया जाता है जिसे रोकनेकी क्या व्यवस्था है ?

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त का ध्यान रखते हुए एक्सीडेन्ट जोन एरिया में अण्डर पास का निर्माण किये जाने का प्राविधान है। कृषि भूमि पर निर्माण के समय कन्स्ट्रक्सन कैम्प नहीं बनाने का प्राविधानित है उक्त के अनुपालन हेतु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीयों को टेण्डर के समय सशर्त प्रतिबन्धित किये जाने का प्राविधान है तथा सुपरवीजन कन्सलटेन्टस उक्त को सुपरवाइज भी करेगें।

प्र0 6 श्री शिवराज सिंह, ग्राम अन्तराम, इटावा द्वारा अवगत कराया गया कि हाई वे निर्माण के समय खेतों से मिटटी ढुलाई के समय प्रयोग किये जाने ट्रक एवं डम्पर से रोड टूट जाती है जिसका निर्माण नहीं कराया जाता है। उक्त के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी ?

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि हाई वे निर्माण के समय खेतों से मिटटी ढुलाई के समय प्रयोग किये जाने ट्रक एवं डम्पर से जो रोड टूट जाती है उसे हाई वे निर्माण के पश्चात निर्माण / रीहेविलिटेड किया जाएगा। जिस स्थल से मिट्टी लायी जा रही है उक्त स्थल का चिन्हीकरण कर हाई वे से जोडने वाली सड़क का निर्माण / रीहेविलिटेसन किये जाने सम्बन्धी कार्य को हाई वे निर्माण हेतु प्रस्तावित डी0पी0आर0 में सम्मलित किया जाएगा।

प्र0 7 श्री सुरेन्द्र सिंह, जसवन्त नगर, इटावा द्वारा अवगत कराया गया कि हाई वे के किनारे सेन्ट पीटर स्कूल है जिसमें लगभग 2500 बच्चे पढ़ते है। बच्चों के सड़क पार करने से एक्सीडेन्ट की सम्भावना रहती है। अतः उक्त स्थल पर अण्डर पास बनाया जाए।

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्कूल के समीप सर्विस रोड़ एवं लगभग 1 कि0मी0 की दूरी पर अण्डर पास भी बना हुआ है। स्कूल एवं बच्चों को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थल पर पैदल पुल का निर्माण कराया जाएगा।

क्रमशः ....5...

प्र0 8 श्री सुरेन्द्र सिंह, जसवन्त नगर, इटावा द्वारा अवगत कराया गया कि हाई वे के किनारे मण्डी रोड होने के कारण वाहन आवागमन से भीड़ रहती है तथा हाई वे ऊँचाई पर होने के कारण ट्रैफिक मुडने में समस्या रहती है। उक्त समस्या का निराकरण कराया जाए।

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर हाई वे जंक्शन के एक्सटेन्सन किये जाने का प्राविधान किया जाएगा।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय, इटावा द्वारा उपस्थित जन समूह के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

14.3.12

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

(**पी0 गुरू प्रसाद**)
जिलाधिकारी, इटावा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा– 282007 द्वारा आगरा– इटावा सैक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन चौड़ीकरण / उच्चीकरण / सुदृढ़ीकरण एवं फिरोजाबाद वाईपास के निर्माण हेतु प्रस्तुत लोक पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव के कम में जनपद इटावा के राष्ट्रीय राजमार्ग– 2 के कि0मी0 292.000 से कि0मी0 323.473 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रौली हाउस 128/681 ए ब्लाक किदवई नगर, कानपुर– 208011 द्वारा इटावा – चकेरी (कानपुर) सेक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन में चौड़ी करण /उच्चीकरण /सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तुत लोक पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव के कम में जनपद इटावा के राष्ट्रीय राजमार्ग– 2 के कि0मी0 323.475 से कि0मी0 350.800 हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, इटावा की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.12 को कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष, इटावा में सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई की उपस्थिति।

क0सं0	नाम एवं पद	पता	हस्ताक्षर
1	पी. गुरु प्रसाद, जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह, अपरजिलाधिकारी	इटावा इटावा	[signature]
2	राजेन्द्र प्रसाद, क्षे०अधि०	उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इटावा	[signature]
3	अब्दुल वाजिद	परियोजना निदेशक, NHAI	[signature]
4	एस. बी. सिंह	उप महाप्रबंधक, NHAI	[signature]
5	P. SIVA SANKAR	Manager(T) NHAI, Kanpur	[signature]
6	Shivnath Chalke	Env. Engineer, CEG, Jaipur	[signature]
7	राकेश कुमार	जसवन्त नगर इटावा	राकेश कुमार
8	सन्तोष कुमार	कुरसैना	सन्तोष कुमार
9	लाल सिंह	जसवन्त नगर	लाल सिंह
10	विनोद कुमार	जसवन्त नगर	विनोद कुमार
11	अल्ताफ खान	जसवन्त नगर	अल्ताफ खान
12	नरेन्द्र सिंह	जसवन्त नगर	[signature]
13	धीरज सिंह	जसवन्त नगर	[signature]
14	सुरेश सिंह	जसवन्त नगर	[signature]
15	रामबाबू	रहना पुरा इटावा	[signature]
16	भारत सिंह	बोरावा	भारत सिंह
17	दिनेश कुमार	ग्राम मिरवन	दिनेश कुमार
18	रामप्रसाद	नगला मिरवन	रामप्रसाद
19	अरविन्द कुमार	कैस्त	अरविन्द कुमार
20	अनुज कुमार	नगला मिरवन	Anuj Kumar
21	रणजीत सिंह	मलाजनी	[signature]

22	वेदपाल सिंह	जसवन्तनगर	वेदपाल सिंह
23	ओमराइल	अहेरीया	[illegible]
24	राधेश्याम	कैस्त	[illegible]
25	साहब सिंह	कैस्त	साहब सिंह
26	सुरेन्द्र सिंह	जसवन्तनगर	सुरेन्द्र
27	बाबू राम	कैस्त	बाबू राम
28	अमर सिंह	[illegible]	अमर सिंह
29.	Dr. M. Saini	CEG Ltd Jaipur	[illegible]
30	एम०पी० सिंह तोमर 9412283095	C-7A आवास विकास कालोनी इटावा	[illegible]
31.	Er. Jaiveer Singh tomar	॥	Singh
32.	Yogesh Yadav	[illegible] Kanpur	[illegible]
33.	Rangesh Sharma	N.H.A.I Agra	[illegible]
34	Sachin Jadaun	L.B.G.	[illegible]
35.	Vimal Arya	N.H.A.I Agra	[illegible]
36.	R.K. Kushwaha	CEG	RK
37	Ranjan Prakash	Louis Berger, Gurgaon	RPrakash
38	Harendra Kumar	— do —	Kum
39	Dinesh Kumar	अजीतमल	[illegible]
40	उदय नारायण दुबे	अजीतमल	[illegible]
41	राम कान्त दुबे	गढ़िया रामसिंह अजीतमल	रामकान्त दुबे
42	गजेन्द्र सिंह	प्रतापपुर अजमतगढ़	गजेन्द्र सिंह
43	Sagar Arora	LBG B-3-6 Sec 32 Ggn	[illegible]
44	विनोद दुबे	गढ़िया रामसिंह अजीतमल	विनोद
45	अवनीश शुक्ला	फुलपुर पो० फुलपुर जि औरैया	
46	राज बहादुर सिंह	फुलपुर [illegible] औरैया	
47	तुलाराम	फुलपुर पो० फुलपुर	
48	राहुल सिंह	अमावता पो० अमावता इटावा	
49	जितेन्द्र कुमार	गढ़िया [illegible] औरैया	जितेन्द्र कुमार
50	राजेश दुबे	गढ़िया राम सिंह अजीतमल	राजेश दुबे
51	सन्तोष तिवारी	अजीतमल	सन्तोष तिवारी
52	विपिन कुमार दुबे		
53	अतुल कुमार	गोपालपुर अजीतमल	

54 सुरेश — पियूर सिंह

55	नामवर सिंह	गुहैना कुलीदपुर	नामवरसिंह
56	राकेश कुमार जैन	Rakesh [illegible] इटावा	
57	भिखारी सिंह	J.E. नि. ख. प. उरला	
58	G.P. Pandey	O.S.E E.C.P	[illegible]
59	Satish Upadhyay	OSE ECP	[illegible]
60	V.S. Rathor	OBE ECP	[illegible]
61	S.K. Yadav	OBE E-UP	VSR
62	R.P. Verma	GM DIC Etawah/Mainpuri	SK Yadav
63	Radhey Shyam yadav	Goverdhan Entt. udyog, Fulrai	[illegible] R.S. yadav